पंचायत आम निर्वाचन, 2021

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-209/2021 -3668

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 10.09.2021

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन,2021 – मतपत्र मुद्रित कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 55 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतपत्र एवं उसके प्रतिपर्ण के परिकल्प के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का निम्नांकित निदेश संसूचित किया जाता है :-

(1) सभी तरह के पदों के लिए मतपत्र अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आवंटित चुनाव चिह्न के साथ मुद्रित किए जायेगे। ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपेटिका एवं मतपत्र के माध्यम से कराया जाना है।

(i) ग्राम कचहरी सरपंच के लिए मतपत्रों का मुद्रण 60 जी0 एस0 एम0 गुणवत्ता वाले क्रीम वॉव सफेद (White cream wove) कागज पर **कत्थई (brown)** रंग से अभ्यर्थी का नाम/ चुनाव चिह्न शेडेड portion एवं अन्य प्रविष्टयाँ मुद्रित की जाएंगी।

(ii) ग्राम कचहरी पंच के लिए मतपत्रों का मुद्रण 70 जी0 एस0 एम0 गुणवत्ता वाले पीले कागज (Yellow Printing Paper) पर **काला (Black)** रंग से अभ्यर्थी का नाम/ चुनाव चिह्न शेडेड portion एवं अन्य प्रविष्टयाँ मुद्रित की जाएंगी।

(3) मतपत्र का प्रतिपर्ण : सिंगल स्तम्भ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच एवं गहराई 2.5 इंच और उसके ऊपर स्टीच के लिए 1/2 इंच जगह रखी जायेगी।

डबल स्तम्भ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 5.5-6 इंच होगी। गहराई एवं अन्य प्रविष्टियाँ वैसी ही रहेगी जो सिंगल स्तम्भ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण के लिए निर्धारित है।

प्रतिपर्ण में सबसे ऊपर बिहार पंचायत निर्वाचन, 2021 एवं जिस पद हेतु मतपत्र होगा, उसका नाम अंकित रहेगा, यथा ग्राम कचहरी सरपंच/ ग्राम कचहरी पंच। उसके नीचे बॉये से दायें निम्नालिखित प्रविष्टियाँ रहेंगी :-

ग्राम कचहरी सरपंच हेतु	:	जिला	प्रखण्ड		ग्राम पंचायत
ग्राम कचहरी पंच हेतु	:	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

10.9.21

इसके नीचे बॉयी ओर मतदाता का अनुक्रमांक देकर उसके बाद डॉट-डॉट रहेगा जिसपर मतदाता सूची में मतदाता का अनुक्रमांक अंकित किया जाएगा। इसके नीचे बॉयी ओर ही मतपत्र का क्रमांक मुद्रित रहेगा।

मतपत्र का क्रमांक आयोग द्वारा निर्धारित सीरिज में लगातार (Consecutive Serial Number) अंकित किया जाएगा।

प्रतिपर्ण के नीचे दायीं ओर मतदाता का हस्ताक्षर/अगूठें का निशान अंकित रहेगा और उसके सामने स्थान खाली रहेगा।

1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक ब्लॉक (Perforated Straight Line) पद के लिए निर्धारित रंग में प्रतिपर्ण के नीचे इसे मतपत्र से अलग करने हेतु खीचां जाएगा। यही से मतपत्र फाड़कर मतदाता को दिया जाएगा।

<u>मतपत्र</u>

(4) सिंगल स्तम्भ वाले मतपत्र की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच होगी। डबल कॉलम वाले मतपत्रों की चौड़ाई 5.5-6 इंच होगी।

(5) Perforated Straight Line के नीचे भी 1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक ब्लॉक खींचा रहेगा।

(6) मतपत्र के फ्रन्ट पेज दोनों पदों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रहेंगी –

(i) ग्ग्राम कचहरी सरपंच हेतु : ग्राम कचहरी सरपंच/जिला/प्रखण्ड/ग्राम पंचायत

(ii) ग्राम कचहरी पंच हेतु : ग्राम कचहरी पंच /जिला/प्रखण्ड/ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या।

(7) एक स्तंभ में अधिकतम 9 अभ्यर्थियों का मुद्रण किया जायगा। 9-18 अभ्यर्थी होने पर डबल स्तम्भ में मतपत्रों का मुद्रण किया जायगा। 18-27 अभ्यर्थी के होने पर ट्रिपल स्तम्भ में मुद्रण किया जायेगा। 27 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदनुसार ही स्तम्भों की संख्या बढ़ जायेगी।

(8) 1/3-1/2 इंच की डिवाइडिंग लाईन मतपत्र के बीच में होगी।

(9) अभ्यर्थी का नाम एक पैनल में मतपत्र की बांयी ओर एवं उसका चुनाव चिन्ह दाहिनी ओर अंकित रहेगा।

(10) डबल कॉलम में जितने अभ्यर्थी रहेगें उसका आधा मतपत्र की एक ओर, एवं आधा दूसरी ओर रखा जायगा। विषम संख्या (Odd Number) में अभ्यर्थी होने पर एक अभ्यर्थी के खाली स्थान को प्रत्येक पद के लिए निर्धारित रंग से शेडेड कर दिया जायेगा।

(11) प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आवंटित जगह की चौड़ाई 1 इंच होगी। लम्बांई 2.5-3 इंच होगी।

(12) दो अभ्यर्थियों के बीच 3/8 इंच चौड़ाई की एक गहरी विभाजक शेडेड रेखा पद के लिए निर्धारित रंग में रहेगी।

(13) दो अभ्यर्थियों से संबंधित मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे 3/8 इंच चौड़ाई की शेडेड रेखा खींची रहेगी एवं इसी शेडेड रेखा में बांयी ओर मतपत्र का क्रमांक अंकित किया जायेगा। इस शेडेड रेखा के नीचे मतपत्र के अन्त में 1/6 इंच चौड़ाई का बोर्डर पद के लिए निर्धारित रंग में रखा जायेगा।

(14) जहाँ स्पेस की कमी के कारण मतपत्र पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या पूर्ण रूप में मुद्रित करने में कठिनाई हो वहाँ संक्षिप्त रूप में यथावश्यक क्रमशः ग्रा.क. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या या ग्रा.क.प्रा.नि.क्षे.सं. अंकित की जा सकती है।

(15) मतपत्र के अंत में 1/6 इंच चौड़ाई का पद के लिए निर्धारित रंग का बोर्डर रहेगा।

(16) किसी भी चुनाव चिन्ह का आकार 1.5 इंच **X** 1 इंच से अधिक नहीं होगा।

(17) मतपत्र का जो क्रमांक प्रतिपर्ण में अंकित है, उसे पुनः दूसरे और तीसरे अभ्यर्थी के बीच में मतपत्र पर अंकित किया जायेगा।

(18) मतपत्रों का बंडल 50-50 का रहेगा। इसी प्रकार से सभी मतपत्र स्टीच किये जायेंगे।

2. अनुरोध है कि मतपत्रों के मुद्रण हेतु चयनित प्रेस को आयोग द्वारा निर्धारित परिकल्प की जानकारी अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाये।

विश्वासभाजन,

10/9/21

सचिव।

ज्ञापांक – पं0नि0 30-209/2021 – 3668 पटना, दिनांक – 10.09.2021

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

10/9/21

सचिव।

ज्ञापांक – पं0नि0 30-209/2021 – 3668 पटना, दिनांक – 10.09.2021

प्रतिलिपि, प्रबंध निदेशक, मे. सरस्वती प्रेस लि., कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/21

सचिव।

ज्ञापांक – पं0नि0 30-209/2021 – 3668 पटना, दिनांक – 10.09.2021

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/21

सचिव।